



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022

आश्विन 5, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1414/वि०स०/संसदीय/131(सं)-2022

लखनऊ, 22 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2022 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम  
संख्या 11 सन् 2020  
की धारा 9 का  
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 (जिसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

“(1) प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन/दावा याचिका, जिसके साथ न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में पच्चीस रुपये की फीस संलग्न होगी, तीन वर्ष के भीतर दाखिल की जायेगी।”

धारा 11 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

“11 (1) जहाँ कहीं हड़ताल, बंद, दंगों, लोक उपद्रव या प्रतिवादों के कारण लोक तथा निजी सम्पत्ति का विनाश या हानि या क्षति होती है वहाँ इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारिता वाले दावा अधिकरण के समक्ष घटना घटित होने के अधिमानतः तीन वर्ष के भीतर प्रतिवाद का दावा करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगा :—

(क) लोक सम्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व, बंद, हड़ताल, दंगा, लोक उपद्रव और प्रतिवादों आदि के दौरान और उसके फलस्वरूप नष्ट हुई सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालकगण या कार्यालयाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा;

(ख) निजी सम्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व, निजी सम्पत्ति का स्वामी, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या न्यासी, जिसके पास अनन्य और आत्यांतिक विधिक अधिकार हो और जो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का अतिचारी न हो, में निहित होगा;

(ग) वैयक्तिक क्षति के लिए उत्तरदायित्व,—

(एक) ऐसे व्यक्ति में निहित होगा, जो क्षतिग्रस्त हुआ हो, अथवा जहाँ मृत्यु, मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि के कारण हुई हो; अथवा

(दो) ऐसे अभिकर्ता में निहित होगा, जो यथास्थिति क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा मृतक के विधिक प्रतिनिधियों में से समस्त या किसी प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) दावा अधिकरण किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या स्वयं अपनी जानकारी पर स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है कि इस अधिनियम के अर्थात्गत क्षति हुई है।

(3) दावा अधिकरण, दावा याचिका दाखिल करने में विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि आवेदक तदनिमित्त युक्तियुक्त कारण दर्शाता है।”

धारा 12 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द “यथास्थिति कार्यालयाध्यक्ष या निजी सम्पत्ति का स्वामी” के पश्चात् शब्द “क्षति के लिए क्षति दावा याचिका में दावेदार” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

“(4) किसी व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम पाँच लाख रुपये की धनराशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में उस उपधारा के अधीन संदेय प्रतिकर की धनराशि न्यूनतम एक लाख रुपये की धनराशि होगी।

(5) जब इस धारा के अधीन कोई अधिनिर्णय किया जाय तब ऐसे व्यक्ति, जिससे ऐसे अधिनिर्णय के सम्बन्ध में किसी धनराशि का संदाय करने की अपेक्षा की जाय, को दावा अधिकरण द्वारा ऐसे अधिनिर्णय के तीस दिन के भीतर ऐसी रीति से अधिनिर्णीत, जैसा कि दावा अधिकरण निर्दिष्ट करे, सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

(6) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के लिए दावा, ऐसे व्यक्ति, जिसकी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में दावा किया गया हो, के किसी उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण विफल नहीं होगा और ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के सम्बन्ध में वसूलीय प्रतिकर की मात्रा ऐसी मृत्यु या स्थायी निःशक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के अंश के आधार पर कम नहीं की जायेगी।”

6—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

धारा 21 का संशोधन

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

“(3) क्षतियों का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जायेगा—

(एक) लोक सम्पत्ति की क्षति;

(दो) निजी सम्पत्ति की क्षति;

(तीन) वैयक्तिक क्षति;

(चार) निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाहियाँ करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहियों की लागत।”

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

“(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यदि किसी व्यक्ति को किसी घटना के कारण कोई ऐसी क्षति या क्षतियाँ हुई हों, जिसमें,—

(क) किसी नेत्र की दृष्टि का या किसी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद या किसी अंग या जोड़ का विच्छेदन होना; या

(ख) किसी अंग या जोड़ की शक्ति का विनाश या उसमें स्थायी कमी होना; या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपण होना,

सम्मिलित हों, तो ऐसी निःशक्तता, स्थायी निःशक्तता मानी जायेगी।”

7—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

नई धारा 28 का बढ़ाया जाना

“28क—इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्तर्विष्ट दावा अधिकरण किसी बात के होते हुए भी लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति के मामलों का अन्तरण अथवा उससे हुई वैयक्तिक क्षति की वसूली के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवर्तित होने के पूर्व शासनादेश

संख्या 4131/छः-पु0-9-14-10-500(289)-09, दिनांक 8 जनवरी, 2011 और शासनादेश संख्या 1057/छः-पु0-3-2011-63पी-10, दिनांक 27 अप्रैल, 2011 के अनुसरण में कृत कार्यवाहियाँ, जैसा है, जहाँ है, के आधार पर दावा अधिकरण को अन्तरित हुई मानी जायेंगी और ऐसे मामलों में इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दावा याचिका दाखिल करने की आवश्यकता अपेक्षित नहीं होगी।”

## उद्देश्य और कारण

सम्पत्ति के सम्बन्ध में हड़ताल, बंद, दंगा, लोक उपद्रव एवं विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर समस्त हिंसात्मक कृत्यों से निपटने और उसकी बारम्बारता एवं तीव्रीकरण को नियंत्रित करने तथा लोक अथवा निजी सम्पत्ति के नुकसान की वसूली का उपबन्ध करने और हुई क्षतियों का अन्वेषण करके तत्सम्बन्ध में प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व शासनादेशों के अनुसरण में कृत लोक तथा निजी सम्पत्ति की क्षति या उससे हुई वैयक्तिक क्षति की वसूली से सम्बन्धित कार्यवाहियों का अन्तरण करने के उद्देश्य से दावा अधिकरण को कार्यवाहियों के अन्तरण से सम्बन्धित उपबन्धों को, 'जैसा है, जहाँ है', के आधार पर सम्मिलित करने, दावा याचिकाओं को दाखिल करने में विलम्ब को माफ करने के प्रयोजन से दावा अधिकरण हेतु न्यायिक वैयक्तिक शक्ति का उपबन्ध करने, मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने और हड़ताल, बंद, दंगों और लोक उपद्रव के दौरान क्षतिग्रस्त व्यक्तियों हेतु प्रतिकर का उपबन्ध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।

—

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

### उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020

धारा 9—(1) प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन/दावा याचिका तीन माह के भीतर दाखिल की जायेगी, जिसके साथ न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में पच्चीस रुपये की फीस संलग्न होगी।

धारा 11—जहाँ कहीं हड़ताल, बंद, दंगों, लोक उपद्रव, उसके प्रतिवादों के कारण लोक तथा निजी सम्पत्ति का विनाश या हानि या क्षति होती है वहाँ इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारिता वाले दावा अधिकरण के समक्ष घटना घटित होने के तीन माह के भीतर प्रतिकर का दावा करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा तथापि दावा अधिकरण तीस दिन के विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि आवेदक युक्तियुक्त कारण दर्शाता है।

(1) लोक सम्पत्ति के लिए बन्द, हड़ताल, दंगा, लोक उपद्रव और प्रतिवादों आदि के दौरान अथवा उसके परिणाम फलस्वरूप नष्ट हुई सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालकगण या विभागाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

(2) निजी सम्पत्ति के लिए, निजी सम्पत्ति का स्वामी, प्राधिकृत प्रतिनिधि या न्यासी जिसके पास अनन्य और आत्यातिक विधिक अधिकार हो और जो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का अतिचारी न हो, प्रतिकर के भुगतान के लिए दावा याचिका दाखिल कर सकते हैं।

धारा 12—सम्पत्ति क्षति के किसी दावा याचिका में यथास्थिति कार्यालयाध्यक्ष या निजी सम्पत्ति का स्वामी ऐसे व्यक्तियों को जो उनके ज्ञान में उक्त कार्यो का आह्वान किये हों अथवा उसे किये हों, ऐसे व्यक्तियों को जो पुलिस की रिपोर्ट में इस प्रकार नामित हो, उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिन्होंने विनाश या क्षति करने वाले कार्यो का आह्वान किया है या किया है, जिसने विरोध प्रदर्शन प्रायोजित किया हो, आह्वान किया हो या आहूत किया हो, को प्रतिवादियों के रूप में सम्मिलित कर सकता है।

धारा 21—(3) क्षतियों का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जायेगा :-

(एक) लोक सम्पत्ति की क्षति;

(दो) निजी सम्पत्ति की क्षति;

(तीन) निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाहियों करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहियों की लागत।

आज्ञा से,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR  
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 502/XC-S-1-22-19S-2022  
Dated Lucknow, September 27, 2022

NOTIFICATION  
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Tatha Niji Sampatti Kshati Vasooli (Sanshodhan) Vidheyak, 2022 introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 22, 2022.

THE UTTAR PRADESH RECOVERY OF DAMAGES TO PUBLIC AND PRIVATE  
PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 2022

**A**  
**BILL**

*further to amend the Uttar Pradesh Recovery of Damages to public and private property Act, 2020.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property (Amendment) Act, 2022. Short title

Amendment of  
section 9 of U.P.  
Act no. 11 of 2020

2. In the Uttar Pradesh Recovery of Damages to public and private property Act, 2020 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 9 for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(1) every application/Claim Petition for compensation shall be filed within three years, accompanied by a fee of rupees twenty five in the form of court fee stamp."

Amendment of  
section 11

3-For section 11 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:-

"11(1) Wherever a destruction, or loss or damage to public and private property takes place due to hartal, bandh, riots, public commotion or protests, the primary responsibility for initiating the action for claiming compensation before the Claims Tribunal of competent jurisdiction, constituted under this Act, preferably within three years of occurrence of the incident shall be as follows:-

(a) for public property, the responsibility would vest with the head of the Office exercising control over the property damaged during and as a result of the bandhs, strikes, riots, public commotion and protests etc. In the case of public sector undertakings, the head of the Office or the Chief Executives or any person authorized by the Head of Office or Chief Executive shall take necessary steps to file Claim Petition for compensation;

(b) for private property, the responsibility would vest with the owner of the private property, his authorized representative or trustee having exclusive and absolute legal rights and who is not a trespasser of the property damaged;

(c) for personal injury, the responsibility would vest with the,-

(i) person who has sustained the injury; or where death has occurred, by all or any of the legal representatives of the deceased; or

(ii) agent duly authorised by the person injured or all or any of the legal representatives of the deceased, as the case may be.

(2) The Claims Tribunal may, upon information received from any person or upon its own knowledge, take *suo-moto* cognizance that damage, within the meaning of this Act, has occurred.

(3) The Claims Tribunal may condone delay in filling the Claim Petition if the applicant shows reasonable cause for the same."

Amendment of  
section 12

4-In section 12 of the principal Act, *after* the words "as the case may be" the words "and in a Claim Petition for damages for the injury, the claimant" shall be *inserted*.

Amendment of  
section 19

5-In section 19 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-sections shall be *inserted*, namely:-

"(4) The amount of compensation payable under sub-section (1) in respect of the death of any person shall be a minimum sum of Five Lakh rupees and the amount of compensation payable under that sub-section in respect of the permanent disablement of any person shall be a minimum sum of One Lakh rupees.

(5) When an award is made under this section, the person who is required to pay any amount in terms of such award shall, within thirty days of such award by the Claims Tribunal, deposit the entire amount awarded in such manner as the Claims Tribunal may direct.

(6) A Claim for compensation under sub-section (1) shall not be defeated by reason of any neglect or default of the person in respect of whose death or permanent disablement the claim has been made and the quantum of compensation recoverable in respect of such death or permanent disablement shall not be reduced on the basis of the share of such person in the responsibility for such death or permanent disablement."

6-In section 21 of the principal Act,-

Amendment of  
section 21

(a) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(3) Damages shall be assessed for,-

(i) Damages to public property;

(ii) Damages to private property;

(iii) personal injury;

(iv) cost of the actions by the authorities and police to take preventive and other actions."

(b) *after* sub-section (3), the following sub-sections shall be *inserted*, namely:-

"(4) For the purposes of this Act, if any person has suffered by reason of any incident, any injury or injuries involving,-

(a) permanent privation of the sight of either eye or the hearing of either ear, or privation of any member or joint; or

(b) destruction or permanent impairing of the powers of any member or joint; or

(c) permanent disfiguration of the head or face

then such disablement shall be deemed to be permanent disablement."

7-*After* section 28 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

Insertion of new  
section 28A

"28A- Notwithstanding anything contained in this Act and the rules made thereunder, the proceedings undertaken in pursuance of Government Order no. 4131/6-pu-14-10-500(289)/09, dated January 8, 2011 and Government Order no. 1057/6-pu-3-2011-63P/10, dated April 27, 2011, prior to the enforcement of this Act in relation to recovery of damage to public or private property or personal injury sustained therefrom, shall stand transferred to the Claims Tribunal on as is where is basis, and in such cases the requirement of filing Claim Petition under section 9 of this Act shall not be required."

Transfer of  
cases to Claims  
Tribunal

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Recovery of Damage to Public and Private Property Act, 2020 has been enacted to deal with all Acts of violence at public places and to control its persistence and escalation and to provide for recovery of damage to public or private property during hartal, bandh, riots, public commotion or protests in respect of property and constitution of Claims Tribunals to investigate the damages caused and to award compensation related thereto.

In order to transfer proceedings, in relation to recovery of damage to public or private property or personal injury sustained therefrom, undertaken in pursuance of Government Orders prior to the enforcement of the aforesaid Act, it has become necessary to amend the aforesaid Act to incorporate provisions relating to transfer of proceedings to Claims Tribunal on as is where is basis, to provide judicial discretionary power to the Claims Tribunal for the purpose of condoning delays in filing of Claim Petitions, to take *suo moto* cognizance of cases and to provide compensation to the persons injured during hartal, bandh, riots, public commotion. In view of the above it has been decided to amend the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property (Amendment) Bill, 2022 is introduced accordingly.

YOGI ADITYANATH

*Mukhya Mantri.*

By order,

J. P. SINGH-II,  
*Pramukh Sachiv.*